कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

पत्रांक 1467/अधि0/दो–29/2024 दिनांक 14 मई, 2024

1. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तराखण्ड।
2. समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तराखण्ड।

विषयः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालयादेश संख्या–1178/अधि0/दो–29/2024–25 दिनांक 22.04.2024 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–23(3) में विहित व्यवस्थानुसार परिवहन आयुक्त संगठन, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत प्रत्येक संवर्ग के स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों का विवरण विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था।

2. उक्त प्रदर्शित किये गये विवरणों के विरूद्ध कतिपय अधिकारी/कार्मिकों द्वारा आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी, जिनका निराकरण निम्नवत किया जा रहा हैः–

(1) श्री ज्योति शंकर मिश्र, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–20(ख) का लाभ प्रदान करते हुए दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में प्रदर्शित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री ज्योति शंकर मिश्र, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कर्णप्रयाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 01.01.2022 होने के दृष्टिगत वर्तमान स्थल पर तैनाती अवधि 02 वर्ष 05 माह है। अतः वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–20(ख) का लाभ प्रदान करने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

(2) श्री रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विकासनगर द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–20(ख) का लाभ प्रदान करते हुए दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में प्रदर्शित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, विकासनगर में कार्यालयाभिलेखानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 01.01.2022 होने के दृष्टिगत वर्तमान स्थल पर तैनाती अवधि 02 वर्ष 05 माह है। अतः वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–20(ख) का लाभ प्रदान करने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

(3) श्री चन्दन सिंह मेहरा, वरिष्ठ सहायक, उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर द्वारा वर्तमान स्थल पर तैनाती अवधि 07 माह 15 दिन के स्थान पर 01 वर्ष 06 माह 15 दिन दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री चन्दन सिंह मेहरा की उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर में तैनाती की तिथि 17.11.2022 होने के दृष्टिगत उनकी वर्तमान स्थल पर तैनाती की अवधि 07 माह 15 दिन के स्थान पर 01 वर्ष 06 माह 15 दिन दर्शाये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

(4) श्री मनोज सिंह, कनिष्ठ सहायक, सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून द्वारा वर्तमान स्थल पर तैनाती की तिथि 15.09.2022 अंकित करते हुए वर्तमान स्थल पर तैनाती अवधि 01 वर्ष 05 माह 17 दिन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री मनोज सिंह द्वारा अपने प्रत्यावेदन के साथ संलग्न अभिलेखानुसार उनकी नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर आशारोड़ी चैकपोस्ट पर दिनांक 29.08.2019 को हुयी थी। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के आदेश दिनांक 18.09.2019 के द्वारा उन्हें देहरादून कार्यालय में सम्बद्ध किया गया। उक्त के पश्चात सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के कार्यालादेश दिनांक 30.11.2021 के द्वारा श्री मनोज को सम्बद्धता समाप्त करते हुए मूल तैनात स्थल आशारोड़ी चैकपोस्ट हेतु कार्यमुक्त किया गया। चैकपोस्टें समाप्त होने के पश्चात दिनांक 15.12.2022 से सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

(5) श्री गोविन्द सिंह फर्त्याल, परिवहन उपनिरीक्षक, बाइक स्क्वार्ड, रामनगर द्वारा दिनांक 18.12.2009 से 12.10.2010 तक प्रवर्तन दल, देहरादून में प्रदर्शित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री गोविन्द सिंह फर्त्याल द्वारा अपने प्रत्यावेदन के साथ संलग्न अभिलेखानुसार उन्हें दिनांक 18.12.2009 से 12.10.2010 तक प्रवर्तन दल, देहरादून दुर्गम (प्रवर्तन दल, चकराता के गठन से पूर्व) में प्रदर्शित किये जाने सम्बन्धी आपत्ति स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

(6) श्री प्रविन्द्र लाल, परिवहन उपनिरीक्षक, बाइक स्क्वार्ड, कोटद्वार द्वारा बी0एस0–18 में कोई भी मोटर साईकिल आबंटित न होने तथा प्रवर्तन दल, कोटद्वार से सम्बन्धी कार्य किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 07.11.2023 से वर्तमान समय तक दुर्गम में तैनात किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार के अन्तर्गत संचालित बी0एस0–18 को सुगम में चिन्हांकित किया गया हैं श्री प्रविन्द्र लाल, परिवहन उपनिरीक्षक की मूल तैनाती बाईक स्क्वार्ड में होने के दृष्टिगत उनकी तैनाती सुगम में प्रदर्शित की गयी है। उक्त के दृष्टिगत श्री प्रविन्द्र लाल की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(7) श्री सुमीत कुमार, परिवहन सहायक निरीक्षक, उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रूड़की द्वारा दिनांक 05.04.2023 से इन्टरसेप्टर दल, रूड़की में प्रदर्शित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

श्री सुमीत कुमार, परिवहन सहायक निरीक्षक को कार्यालयादेश संख्या–1048 दिनांक 01.04.2023 के द्वारा भगवानपुर चैकपोस्ट से इन्टरसेप्टर दल, रूड़की में तैनात किया गया है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), रूड़की के कार्यालयादेश संख्या–242 दिनांक 05.04.2023 द्वारा श्री सुमीत को इन्टरसेप्टर दल, रूड़की में तैनात किया गया है। उक्त के दृष्टिगत श्री सुमीत की आपत्ति को स्वीकार करते हुए पात्रता सूची में संशोधन किया जाता है।

(8) श्री अंकित डोभाल, परिवहन आरक्षी, बाइक स्क्वार्ड, कोटद्वार द्वारा बी0एस0–18 में कोई भी मोटर साईकिल आबंटित न होने तथा प्रवर्तन दल, कोटद्वार से सम्बन्धी कार्य किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 05.04.2023 से वर्तमान समय तक दुर्गम में तैनात किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार के अन्तर्गत संचालित बी0एस0–18 को सुगम में चिन्हांकित किया गया हैं श्री अंकित डोभाल, परिवहन आरक्षी की मूल तैनाती बाईक स्क्वार्ड में होने के दृष्टिगत उनकी तैनाती सुगम में प्रदर्शित की गयी है। उक्त के दृष्टिगत श्री अंकित डोभाल की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी।
2. डी0बी0ए0 मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचनायें विभागीय वैबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।